संख्या:-91/2021/215आ0/23-5-21-15(भवन)/2020

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-80-051-20-00-24 "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास कार्यालय में परिवर्तन के अन्तर्गत पुन: विद्युतीकरण, एल0टी0 पैनल, अग्निशमन प्रणाली, वातानुकूलन संयंत्र एवं मुख्य लाईन टेलीफोन केबिल लेईंग तथा लिफ्ट स्थापना के कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ बजट 'ख' वर्ग के पत्र सं0-181बीजीबी/109बीजीबी/राजभवन(भारित)/21-22, दिनांक 28-07-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रू0 80.47 लाख (रू0 अस्सी लाख सैंतालिस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
				(धनराशि लाख रू0 में)		
1	54/2020/209आ0/23-5-20-15(भवन)/20, दिनांक 16.09.2020 एवं 31/2021/78आ0/23-5-21-15(भवन)/20, दिनांक 18.02.2021	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास कार्यालय में परिवर्तन के अन्तर्गत पुन: विद्युतीकरण, एल0टी0 पैनल, अग्निशमन प्रणाली, वातानुकूलन संयंत्र एवं मुख्य लाईन टेलीफोन केबिल लेईंग तथा लिफ्ट स्थापना का कार्य।	253.09	172.62	80.47	80.47
		योग :-	**253.09**	**172.62**	**80.47**	**80.47**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-20-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:-91/2021/215आ0(1)/23-5-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्री जी, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- जिलाधिकारी, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- अधीक्षण अभियन्ता, 30वां(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0अनु0(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।